**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 925 सन 2019/ऑन लाईन नम्बरः–2019/01147

अनवान :–

1. देवीलाल भांभू पुत्र मेहरचन्द भांभू जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बलराम भांभू पुत्र मेहरचन्द भांभू जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर

वादीगण

**बनाम**

1. मेहरचन्द पुत्र स्व साजनराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।
2. उर्मिला पत्नि स्व प्रताप पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
3. माया पुत्री स्व प्रताप पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।
4. जडाव पुत्री मेहरचन्द पत्नी महावीर जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री मेहरचन्द पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
6. जगना पुत्री मेहरचन्द पत्नी प्रेम कुमार जाति जाट निवासी कनवाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. प्रबन्धक पीएनबी शाखा मन्दपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुगानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जोजासर के खसरा न0 42 की 0.405है 89 की 21.916हैक प्रतिादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 290 के खसरा न0 28 व 32 में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता एवं पिता के नाम 300 हिस्सा दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा साजन पुत्र जगमाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा साजन पुत्र जगमाल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा साजन पुत्र जगमाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 मृतक प्रताप की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादीगण की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया हे उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12 ,2 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

Scanned with CamScanner

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता साजन पुत्र जगमाल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/पुत्रों वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी सांख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाव शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जोजासर के खसरा न0 42 की 0.405है 89 की 21.916हैक प्रतिादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 290 के खसरा न0 28 व 32 में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता एवं पिता के नाम 300 हिस्सा दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा साजन पुत्र जगमाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा साजन पुत्र जगमाल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा साजन पुत्र जगमाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 मृतक प्रताप की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादीगण की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया हे उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना के अधिकारी है ।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोजासर के खसरा न0 89 की कुल 17.710 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वाद भूमि साजन पुत्र जगमाल के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा साजन पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

जगमाल के नाम से दर्ज है वादी के दादा साजन पुत्र जगमाल के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक साम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक साम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की साम्पति में पौते/पौतियों को वराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से वाहमी वटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काविल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादीगण रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 61 के खसरा न0 89 की कुल 16.500हैक वहिव रहेगी व प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 449 के खसरा न0 449 की 440 हिस्सा व रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 61 के खसरा न0 89 की 3.000हैक भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 61 के खसरा न0 42 की 0.405हैक व खसरा न0 89 की 2.416हैक कुल 2.821हैक व रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 290 के खसरा न0 28 व 32 की 300 हिस्सा भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि वैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्वर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. देवीलाल भांभू पुत्र मेहरचन्द भांभू जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 बलराम भांभू पुत्र मेहरचन्द भांभू जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. मेहरचन्द पुत्र स्व साजनराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।
3 उर्मिला पत्नि स्व प्रताप पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
4 माया पुत्री स्व प्रताप पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।
5 जडाव पुत्री मेहरचन्द पत्नी महावीर जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
6 रोशनी पुत्री मेहरचन्द पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
7 जमना पुत्री मेहरचन्द पत्नी प्रेम कुमार जाति जाट निवासी कनवाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8 प्रबन्धक पीएनबी शाखा मन्दपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 925 सन 2019 निर्णय दिनांक–** 20/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादीगण रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 61 के खसरा न0 89 की कुल 16.500हैक बहिब रहेगी व प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 449 के खसरा न0 449 की 440 हिस्सा व रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 61 के खसरा न0 89 की 3.000हैक भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 61 के खसरा न0 42 की 0.405हैक व खसरा न0 89 की 2.416हैक कुल 2.821हैक व रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 290 के खसरा न0 28 व 32 की 300 हिस्सा भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner